केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु०)
18 , संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली110016-
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
दूरभाष/Tel.: 26858570 फैक्स/Fax 26514179
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

पत्रांक :11060/3/2014-केविसं(मु)/स्था.3 दिनांक 18 सितम्बर, 2014

उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान /
प्राचार्य,केवि काठमान्डू/मास्को/तेहरान

विषयः वर्ष 2014 के लिए शिक्षको/प्राचार्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय(माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा शिक्षकों/मुख्याध्यापकों/उप-प्राचार्यों/प्राचार्यों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो सराहनीय सेवा प्रदान की जा रही है उन्हें मान सम्मान देने हेतु प्रांरभ की गई राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के लिए उनके नामों की सिफारिश करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भारत सरकार को अपने 16 शिक्षकों के नामों की सिफारिश करनी है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय द्वारा अगले शिक्षक दिवस 2015 के अवसर पर प्रदान किए जाएगें।

2. इस योजना के अंतर्गत केविसं के निम्नलिखित श्रेणी के शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पात्र हैं:

1	प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने शिक्षक के रूप में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी की हो और मुख्याध्यापक/ध्यापिका के साथ 20 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो	06
2	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षक जो माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाते है और जिनके पास 15 वर्ष का अनुभव है। यह पुरस्कार प्राचार्यों के लिए भी है जिनके पास 20 वर्ष का अनुभव है	06
3	शारीरिक विकलांग माध्यमिक शिक्षकों के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कार(प्राचार्यों सहित)	02
4	शारीरिक विकलांग प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कार. क्रम संख्या 3 व 4 के लिए कक्षाओं में अध्यापन का अनुभव 10 वर्ष का होना चाहिए और प्राचार्यों/मुख्याध्यापक के लिए 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पात्रता की अन्य शर्तें और चयन प्रक्रिया क्रमांक 1 व 2 श्रेणी के अनुरूप होगी।	02
	कुल	16

3. जिन शिक्षकों के नामों की पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है वे अनुलग्नक- I में दी गई शर्तों के अनुसार पात्र होने चाहिए।

4. सिफारिश करते समय शिक्षिकाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षकों के चयन के लिए मुख्य विचारणीय बिंदु इस प्रकार से हैं:-

1. शिक्षक की विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय में प्रतिष्ठा
2. शिक्षक की शैक्षिक क्षमता और उसमें सुधार की प्रवृत्ति
3. शिक्षक में बच्चों के प्रति प्यार एवं दिलचस्पी
4. शिक्षक का सामाजिक जीवन में भागीदारी

5. शिक्षक/प्राचार्य जिनके नामों की पहले सिफारिश की गई है और उनको राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है, अगर वे अभी भी पात्रता रखते हैं तो उनसे नए आवेदन भरवाकर क्षेत्रीय चयन समिति द्वारा सिफारिश की जा सकती है।

6. सामान्यतया सेवानिवृत शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं है लेकिन जो शिक्षक 30 अप्रैल 2014 तक सेवारत थे और वे अगर अन्य शर्तों को पूरा करते हैं तो उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद फिर से तैनाती पर प्रदान की गई सेवा को पुरस्कार के लिए पात्रता हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

7. चयन प्रक्रिया

पहले पुरस्कार के लिए पात्र शिक्षकों की पहचान की जाएगी और पहचान किए जाने के उपरांत संबंधित शिक्षक को अनुलग्नक-1 के अनुसार निर्धारित आवश्यक प्रपत्र भरने के लिए दिया जाए। शिक्षक द्वारा प्रपत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं करना है और किसी भी परिस्थिति में यह प्रपत्र मुद्रित पृष्ठों की संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

ए) विद्यालय के स्तर पर पहचान

प्रत्येक क्लस्टर के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक आयुक्त और क्लस्टर के एक प्राचार्य की समिति गठित की जाए। यह समिति संबंधित क्लस्टर के विद्यालयों में से पुरस्कार के लिए जो शिक्षक आवेदन कर सकते हैं ऐसे शिक्षकों की पहचान करेगी।

प्राचार्यों की पहचान करने के लिए उपायुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय और दो सहायक आयुक्तों की एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति पुरस्कार के लिए जो प्राचार्य आवेदन कर सकते हैं ऐसे प्राचार्यों की पहचान करेगी।

पात्र शिक्षकों और प्राचार्यों की पहचान किए जाने उपरांत उन्हें आवेदन का प्रपत्र दिया जाएगा। प्रपत्र के साथ एक खाली पृष्ठ दिया जाए जिस पर वे पुरस्कार हेतु विचार करने के लिए अपनी उपलब्धियों की जानकारी दे सकें इसके अलावा प्रपत्र के साथ कोई भी दस्तावेज या फोटोकॉपी संलग्न न किया जाए। प्राचार्यों के संबंध में उपायुक्त आवेदक द्वारा प्रपत्र में दी गई जानकारी को प्रमाणित करेगें ।

क्षेत्रीय चयन समिति को आवेदन प्रस्तुत किए जाने से पहले सभी आवेदनों पर अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की सिफारिश अवश्य ले ली जाए।

ब. क्षेत्रीय स्तर पर चयन समिति

1	उपायुक्त	अध्यक्ष
2	केंद्रीय विद्यालय के एक ऐसे प्राचार्य जिन्हें राष्ट्रीय या प्रोत्साहन पुरस्कार मिला हो	सदस्य
3	एक शिक्षाविद जो क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्य भी हो	सदस्य
4	सहायक आयुक्त	सदस्य सचिव

8. जिन शिक्षकों के नामों की सिफारिश की हुई है उनके सेवा रिकार्ड एवं पूर्ववृत का सत्यापल सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए । इस आशय का प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-III) पूर्ण रूप से भरकर संबंधित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है ।

9. क्षेत्रीय चयन समिति **अनुलग्नक-IV** में दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसरण करते हुए प्रत्येक श्रेणी से पुरस्कार हेतु दो नामों का चयन कर अंतिम चयन हेतु केविसं(मुख्या.) को प्रस्तुत करेगी। क्षेत्रीय चयन समिति की सिफारिश के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी भेजे जाएं :-

क) चयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

ख) आवेदन/प्रोफार्मा की दो प्रतियां एवं आवेदक के दो पासपोर्ट साइज़ फोटो।

ग) पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की फोटोस्टेट प्रतिलिपियाँ ।

घ) प्राचार्य/अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति/ उपायुक्त,जो भी लागू हो, का संक्षिप्त प्रशस्ति पत्र

ङ) अलग शीट पर सतर्कता प्रमाण-पत्र

च) विशेष श्रेणी नामांकन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकलांगता प्रतिशत को दर्शाते हुए चिकित्सा प्रमाण पत्र

छ) प्रत्येक श्रेणी के पुरस्कार के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं अलग से हस्ताक्षरित अनुलग्नक-5 की प्रति। अनुलग्नक-5 की प्रतियां सॉफ्ट कॉपी में एक्सेल(Excel) शीट में बनाकर ई-मेल द्वारा (kvs.jcadmn@gmail.com) भेजी जाए ।

जिन शिक्षकों के नामों की सिफारिश की गई है उनकी पूरी जानकारी (अनुलग्नक-II-IV) सीलबंद लिफाफे में जिस पर "राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु सिफारिश" लिखा हो पंजीकृत डाक/स्पीड-पोस्ट द्वारा और ई-मेल द्वारा (kvs.jcadmn@gmail.com) 14 नवम्बर, 2014 तक केविसं(मु.) में अवश्य पहुँच जानी चाहिए।

भवदीय,

संलग्न:यथोपरि

(यू.एन.खवाड़े)
संयुक्त आयुक्त(प्रशा.)

प्रतिलिपि:- उपायुक्त(ईडीपी) को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को केविसं की वेबसाइट पर लोड करें।